Cosmos Multidisciplinary Research E-Journal
Online Available at www.cmrj.in
Recognized International Peer Reviewed Journal
Impact Factor 4.94
ISSN No. 2456-1665

शिक्षा अधिकार विधेयक: कुछ अनछुए पहलू

प्रो.(डॉ) अजय कुमार (प्राचार्य, देवनागरी महाविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश)
डॉ अनीता चौधरी (विभागाध्यक्षा (बी. एड.), देवनागरी महाविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश)

सारांश

संयुक्त राष्ट्र संघ ने शिक्षा के अधिकार को " मानवाधिकार " की मान्यता प्रदान की है। शिक्षा के अधिकार को मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा पत्र (Universal Declaration of Human Rights) के अनुच्छेद 26 में, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा की धारा 14 में स्थान दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के यूनेस्को एवं अन्य अंग, शिक्षा के अधिकार हेतु अंतरराष्ट्रीय विधिक प्रतिबद्धताओं को पूरा करने हेतु कार्य करते हैं। प्रत्येक राष्ट्र की सरकार अपने प्रत्येक नागरिक को नि:शुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय विधि से बद्ध है।

भारत में भी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों तथा देश के बच्चों के प्रति अपने दायित्व निर्वहन के क्रम में केंद्र सरकार ने 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों के लिए नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम, 2009 को पारित किया। जिसे 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति से स्वीकृति प्राप्त हुई। इस अधिनियम के प्रावधान एक अप्रैल 2009 से ही लागू हो गए थे। इसके साथ ही देश के प्रत्येक बालक को शिक्षा का मौलिक अधिकार कानूनी रूप से प्राप्त हो गया है। यह अधिनियम 7 अध्याय और 38 खंडों में विभक्त है। जिसमें समाज के कमजोर और उपेक्षित बालकों के लिए शिक्षा के समुचित अवसर सुनिश्चित करने, शिक्षकों की ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की तैनाती में असंतुलन की समाप्ति, समुचित प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति करने के साथ-साथ विद्यालय भवनों, शिक्षक - छात्र अनुपात,शैक्षणिक कार्यों व शिक्षकों के कार्यों के घंटों के लिए मानकों का निर्धारण किया गया है । बिना समुचित मान्यता के किसी स्कूल का संचालन इस विधेयक में दंडनीय अपराध बनाया गया है। परंतु कुछ कमियों के कारण इस विधेयक पर विचार - विमर्श के द्वारा इसे आलोचना का शिकार भी होना पड़ा है।

" राज्य इस संविधान के प्रारंभ होने से 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा।"

-- अनुच्छेद 45

सम्पूर्ण विश्व में भारत की एक प्रमुख आर्थिक महाशक्ति के रूप में पहचान हैं। क्योंकि भारत में विश्व का द्वितीय स्थान पर बड़ा, गतिशील तथा मजबूत उपभोक्ता बाजार मौजूद है ।इसके बाद भी अशिक्षा एक बड़ी बाधा के रूप में हमारे यहां दृष्टिगोचर होती है। सरकारी तथा व्यक्तिगत प्रयासों के बाद भी आज लगभग 38 करोड लोग ऐसे हैं, जो पढ़ - लिख नहीं सकते। जिनमें बालकों की अधिकतम संख्या का होना चिंता का विषय है। बच्चे किसी भी राष्ट्र की महानतम धरोहर हैं। उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास में परिवार और विद्यालय दोनों की अहम भूमिका होती है। प्रत्येक समाज बच्चों के लिए यथासंभव अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करता है। शोध परिणामों के आधार पर स्पष्ट है, कि प्राथमिक शिक्षा, बच्चों के भविष्य और जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक साबित होती है। इस तथ्य को स्वीकार करना होगा, कि बाल्यावस्था व्यक्तित्व विकास की अत्यंत नाजुक अवस्था है। अभिभावकों और शिक्षकों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है, कि वह प्राथमिक स्तर पर बालकों को बड़ी सावधानी के साथ शिक्षा दें। देश की प्रगति के लिए मानव संसाधन के विकास का प्रमुख दायित्व शिक्षा के ऊपर ही है। यही कारण है, कि भारतीय संविधान के नीति - निर्देशक तत्वों (Directive Principles) की धारा 45 में प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण का लक्ष्य रखा गया था। वर्तमान में 86 वें संविधान संशोधन के द्वारा धारा 21 a में 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। इस अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए एक कानून बनाए जाने की जरूरत लगातार महसूस की जा रही थी।

इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए, 4 अगस्त 2009 में भारतीय संसद ने बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया। राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात् 27 अगस्त 2009 को इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया। इसके साथ ही देश के प्रत्येक बालक को शिक्षा का मौलिक अधिकार कानूनी रूप से प्राप्त हो गया है। इस अधिनियम में 7 अध्याय और 38 खण्ड हैं, जो निम्नांकित हैं :

- अध्याय - 1 प्रस्तावना रूप ।
- अध्याय - 2 नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार ।
- अध्याय - 3 केंद्र, राज्य,स्थानीय सरकारों और अभिभावकों के दायित्व ।
- अध्याय - 4 स्कूल और शिक्षकों के दायित्व ।
- अध्याय - 5 पाठ्यचर्या और प्रारंभिक शिक्षा का पूरा होना ।
- अध्याय - 6 बाल अधिकारों का संरक्षण ।
- अध्याय - 7 अन्य प्रासंगिक बातें ।

•• 38 खण्ड :-

- 1. संक्षिप्त नाम - RTE, 2009.
- 2. परिभाषाएं - विशेष शब्दों का परिभाषीकरण ।
- 3. नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा, बालक का अधिकार - 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए ।
- 4. प्रवेश न दिए गए बालकों या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है, के लिए विशेष उपबंध ।
- 5. अन्य विद्यालयों में स्थानांतरण का अधिकार ।
- 6. राज्य सरकारों और स्थानीय स्तर पर विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य ।
- 7. वित्तीय तथा अन्य उत्तरदायित्वों का बंटवारा ।
- 8. राज्य सरकारों का दायित्व - विद्यालय की आधारभूत संरचना ।
- 9. स्थानीय स्तर पर शिक्षा अधिकारियों द्वारा विद्यालय का निरीक्षण ।
- 10. बालक को विद्यालय भेजने हेतु माता-पिता और संरक्षक के दायित्व ।
- 11. राज्य सरकारों द्वारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था ।
- 12. नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय के दायित्वों की सीमा (सरकारी में नि:शुल्क तथा गैर सरकारी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बालकों हेतु 25% स्थान आरक्षित होंगे।)
- 13. प्रवेश में आयु प्रमाण - पत्र, बाध्यता की समाप्ति ।
- 14. प्रवेश तिथि निकलने के पश्चात् भी बालक को विद्यालय में प्रवेश ।
- 15. प्रवेश हेतु दान, चंदा या परीक्षण प्रक्रिया पर रोक ।
- 16. कक्षा 8 तक बालकों को फेल करने और विद्यालय से निष्कासन पर रोक ।
- 17. बालकों के शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न पर रोक ।
- 18. धारा 19 में वर्णित मांगों को पूरा करने वाले विद्यालयों की स्थापना पर बल ।
- 19. अधिनियम लागू होने पर 3 वर्षों के भीतर पूर्व स्थापित हो चुके, विद्यालयों को मानक पूर्ण करने होंगे।
- 20. केंद्र सरकार को अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति होगी ।
- 21. अनुदान न पाने वाले गैर सरकारी विद्यालयों को छोड़कर, शेष सभी विद्यालयों को विद्यालय प्रबंध समिति का गठन करना होगा ।
- 22. विद्यालय प्रबंध समिति, स्कूल विकास योजना पर कार्य करेगी ।
- 23. शिक्षकों की नियुक्ति हेतु, न्यूनतम योग्यता का निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा ।
- 24. शिक्षकों की सेवा शर्तों तथा कार्यभार का निर्धारण ।
- 25. शिक्षक - छात्र अनुपात (प्रधानाध्यापक के अतिरिक्त 1 : 40 से अधिक न हो।)
- 26. राज्य और स्थानीय अधिकारी सुनिश्चित करेंगे, कि स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पद 10% से अधिक नहीं होंगे ।

• 27. जनगणना,चुनाव तथा आपदा राहत को छोड़कर, शिक्षकों को अन्य कार्यों में नहीं लगाया जाएगा ।
• 28. शिक्षकों के प्राइवेट ट्यूशन पर रोक ।
• 29. पाठ्यक्रम द्वारा बालक के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाएगा। जिसका मूल्यांकन व्यापक और सतत् होगा ।
• 30. प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने से पूर्व कोई भी बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने पर बालकों को प्रमाण - पत्र दिया जाएगा ।
• 31. बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत् गठित राष्ट्रीय / राज्य बाल संरक्षण आयोग द्वारा बालकों के अधिकारों की देखभाल सुनिश्चित होगी ।
• 32. धारा 31 में वर्णित बाल संरक्षण आयोग, प्राप्त शिकायतों की जांच करेंगे ।
• 33. केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन, इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावशाली ढंग से लागू करने तथा केंद्र सरकार को सलाह देने हेतु किया जाएगा ।
• 34. इसी प्रकार राज्य सलाहकार परिषद का गठन भी किया जाएगा ।
• 35. धारा 35 के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को, राज्य सरकारें स्थानीय अधिकारियों को, स्थानीय अधिकारी स्कूल प्रबंध समिति को निर्देश जारी करेंगे।
• 36. अधिनियम का पालन न करने पर धारा 13,18 और 19 के अनुसार दंडनीय अपराधों के लिए सरकार या अधिकारियों की पूर्व मंजूरी आवश्यक है।
• 37. सद्भावनापूर्वक किए गए किसी कार्य के लिए, कोई मुकदमा या विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।
• 38. राज्य सरकारें अधिनियम के उपबंधों (Provisions) की क्रियान्विति हेतु, अधिसूचना(Notification) द्वारा नियम बना सकेंगी।

शिक्षा अधिकार विधेयक 2009 में वर्णित उपरोक्त सात अध्यायों और 38 खण्डों के माध्यम से कमजोर और उपेक्षित बच्चों के लिए शिक्षा के समुचित अवसर सुनिश्चित करने, शिक्षकों की ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में तैनाती में असंतुलन की समाप्ति, समुचित प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति करने के साथ-साथ विद्यालय भवनों, शिक्षक - छात्र अनुपात, शैक्षणिक कार्य दिवसों व शिक्षकों के कार्यों के घंटों आदि के लिए मानकों का निर्धारण किया गया। बच्चों को शारीरिक दंड न देने व प्रवेश में बच्चों या उनके अभिभावकों की स्क्रीनिंग करने, कैपिटेशन फीस लेने तथा विद्यार्थियों को स्कूल से निष्कासित करने आदि को इस विधेयक में प्रतिबंधित किया गया है।

जनगणना, चुनाव कार्य तथा आपदा राहत कार्यों को छोड़कर अन्य किसी कार्य के लिए शिक्षकों की नियुक्ति किए जाने पर भी इसमें रोक लगाई गई है। इसी प्रकार बिना समुचित मान्यता के किसी स्कूल का संचालन इस अधिनियम में दंडनीय अपराध बनाया गया है। सरकारी सहायता न लेने वाले निजी विद्यालयों को भी इस विधेयक के अधिनियमित होने पर प्रवेश स्तर की प्रारंभिक परीक्षा में 25% सीटें अपने आसपास के वंचित बच्चों (Disadvantaged Children) के लिए आरक्षित रखनी होगीं। ऐसे बच्चों की पढ़ाई का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

शिक्षा का अधिकार विधेयक एक ही तथ्य को विभिन्न रूपों में प्रस्तुत करने की परंपरा को ही आगे बढ़ाता है। क्योंकि भारतीय संविधान में वर्णित नागरिकों के मूल अधिकारों में से एक अधिकार शिक्षा प्राप्त करने संबंधी भी है। इसी का दोहराव अनुच्छेद - 45 के रूप में संविधान में वर्णित है। सन् 2002 में 86 वें संविधान संशोधन के द्वारा एक और मूल अधिकार के रूप में इसे प्रस्तुत किया गया। साथ ही 2009 में इसे ही शिक्षा के अधिकार अधिनियम के रूप में लाया गया। परिणामत: शिक्षा अधिकार अधिनियम में आदर्शवाद का पटु के होने के कारण बहुत सी कमियां रह गई हैं। शिक्षा में 6 वर्ष से कम और 14 वर्ष से अधिक के विद्यार्थियों को छोड़ देने से शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है। 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने भी " राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन " की गारंटी दी थी। साथ ही पूर्व प्राथमिक शिक्षा ही प्राथमिक शिक्षा के लिए बालकों को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करती

है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अभाव में प्राथमिक शिक्षा की सफलता संदिग्ध ही प्रतीत होती है। इसी प्रकार इस विधेयक में आठवीं कक्षा तक विद्यार्थियों को पढ़ाने की गारंटी सरकार दे रही है, परंतु आठवीं के पश्चात् कितने विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करेंगे, इस संबंध में इस विधेयक में कुछ भी उल्लेख नहीं मिलता है। 19 जनवरी 2010 में जारी यूनेस्को की रिपोर्ट में भी बीच में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों के प्रति चिंता जाहिर की गई है। इस विधेयक में गरीब बच्चों को तकनीकी और उच्च शिक्षा लेने की योग्यता तथा अवसर भी प्रदान नहीं किए गए हैं। साथ ही साथ स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और स्कूल अनुभव को बेहतर बनाने पर भी विधेयक में स्पष्ट नहीं किया गया है। यूनेस्को की शिक्षा रिपोर्ट में भी कहा गया है कि ग्रामीण भारत में तीसरी कक्षा के मात्र 28% बच्चे दहाई के अंकों को जोड़ - घटा सकते हैं और तीन में से केवल एक बच्चा घड़ी में देखकर समय बता सकता है। इस अधिनियम के तहत वांछित शिक्षक - छात्र अनुपात (1 : 30) को प्राप्त करने हेतु विभाग में शिक्षकों की बहुत कमी है, जिसके लिए प्राथमिक शिक्षा विभाग को नए प्राथमिक शिक्षकों की बड़े पैमाने पर भर्ती करनी होगी।

बाल मजदूरों, बंधुआ मजदूरों, शारीरिक एवं मानसिक रूप से असमर्थ बच्चों को स्कूल तक लाने की अपनी जिम्मेदारी से भी सरकार मुंह मोड़ती दिख रही है। शिक्षा के मौलिक अधिकार का हनन होने पर यह विधेयक कोर्ट के दरवाजे खटखटाने से भी रोकेगा। क्योंकि इसमें निर्देश दिए गए हैं, कि इसकी शिकायत " नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटक्शन आफ चाइल्ड राइट्स " में करें, जिसके पास स्वयं कोई न्यायिक शक्ति प्रतीत ही नहीं होती है। इसके अतिरिक्त शिक्षा अधिकार कानून के द्वारा भारत सरकार एक ऐसी देशव्यापी भाषा नीति को अमल में ला सकती थी, जिसके द्वारा बच्चों में प्रतिभा विकास के साथ-साथ देश को एकता के सूत्र में बांधा जा सकता है। परंतु प्रस्तुत विधेयक में कोई भी भाषा - नीति शामिल नहीं की गई है। केवल इतना ही उल्लेख किया गया है, कि शिक्षा का माध्यम यथासंभव बच्चों की मातृभाषा होगी।

प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक *" श्री चेम्फोर्ड "* की बातों पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है, कि शिक्षा का मतलब नैतिकता और समझदारी से है। नैतिकता से बालकों में गुणों को विकसित करने में सहायता मिलेगी और समझदारी दूसरों के दुर्गुणों से बचाने में सहायक होगी। यदि शिक्षा को नैतिकता की तरफ ज्यादा झुका देंगे, तो देश में शहीद पैदा होंगे और समझदारी की तरफ शिक्षा का झुकाव ज्यादा होगा,तो अहम वाले साजिशकर्ता पैदा होंगे। यह विधेयक अपने विद्यमान स्वरूप में नैतिकता और समझदारी में संतुलन स्थापित करता है, इसमें भी परस्पर संदेह है। इन सभी नकारात्मक बिंदुओं के बाद भी प्रसिद्ध अर्थशास्त्री *" श्री एन. के. सिंह"* का मानना है, कि शिक्षा के अधिकार का विधेयक एक अत्यधिक आवश्यक, महत्वपूर्ण, आर्थिक और सामाजिक कानून है। समय के साथ यह विधेयक समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने की सामर्थ्य रखता है ।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. पूर्व प्राथमिक शिक्षा - एक परिचय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली, 2003.
2. कुरुक्षेत्र, सितंबर 2007, " ग्रामीण विकास मंत्रालय ", नई दिल्ली.
3. प्राथमिक शिक्षक, अप्रैल - जुलाई संयुक्तांक 2009, एन. सी. ई. आर.टी., नई दिल्ली.
4. लोकमित्र, नवंबर 2009, बी - 62, आनंद नगर, रायबरेली.
5. प्रतियोगिता साहित्य, जून 2010.
6. समसामयिकी "अर्धवार्षिक" 2010, विवास, मनोरमा प्रकाशन,दिल्ली.
7. ईयर बुक 2010.
8. दृष्टि 2010,समसामयिक घटनाओं का वार्षिक संकलन, घटना चक्र प्रकाशन, विश्वविद्यालय मार्ग, इलाहाबाद.
9. लाल, रमन बिहारी,"भारत में शैक्षिक प्रणाली का विकास", 2012, रस्तोगी पब्लिकेशन, मेरठ.